

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

नीमकाथाना

बनाम




कमला देवी

भूमिधारी


किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र 128 एल. आर. एक्ट

30/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/01/2021	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र 128 एल आर एक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.02.2021 को पेश हो। 	
11/02/2021	पत्रावली आज पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामिल अनु0। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 22.02.2021 को पेश हो। 	
22/02/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। अतः पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। 	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">(०९ मजली)</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम प्रीतमपुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 244 रकबा 1.01 है० की पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 01.10.2020 पत्थरगढी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।</p>	
<p>हस्ताक्षर महोदय हस्ताक्षर महोदय</p>	<p style="text-align: center;">निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना </p>	